



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112021-231104
CG-DL-E-13112021-231104

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4347]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 2021/कार्तिक 21, 1943

No. 4347]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 2021/KARTIKA 21, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4713(अ).—भारत सरकार को लोकहित में यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के दहेज मैनुफैक्चरिंग डिविजन (गुजरात) से नागोथाने मैनुफैक्चरिंग डिविजन (महाराष्ट्र) तक तरल ईथेन के परिवहन के लिए मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन्स लिमिटेड द्वारा मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को समर्पित दहेज-नागोथाने तरल ईथेन पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और, भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः, अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी, रिलायंस ईथेन पाइपलाइन्स लिमिटेड, कॉम्प्रेसर स्टेशन - 08, गांव - वाहोली, पोस्ट - वाहोली, कल्याण मुरबाड रोड, कल्याण - 421301, महाराष्ट्र राज्य को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

मंडल/तहसील/तालुका : तलासरी	जिला : पालघर	राज्य : महाराष्ट्र		
गाँव का नाम	सर्वे सं/सब डिविजन सं	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	सि-एयर
1	2	3	4	5
1) उपलट	214	00	04	45
	770	00	06	20
	750	00	00	30
	713	00	06	10
2) वरवाडा	30	00	28	89
	36/2पै	00	16	88
	47/3	00	03	09
	45/2	00	03	13
	173/12	00	03	01
3) तलासरी	265/1/पै	00	10	01
4) वडवली	34	00	02	00
	35/4	00	04	38
	35/6	00	09	80
	38/1	00	12	73
मंडल/तहसील/तालुका : डहाणू	जिला : पालघर	राज्य : महाराष्ट्र		
1) पर्डी	1	00	06	45
	17	00	10	82
2) पुंजावे	43	00	07	70
	105	00	21	63
3) सासवंद	58/1/1	00	21	10
	58/1/6	00	20	00
4) कोल्हान	35/7	00	19	84
मंडल/तहसील/तालुका : पालघर	जिला : पालघर	राज्य : महाराष्ट्र		
1) बन्हाणपूर	303	00	02	00
मंडल/तहसील/तालुका : विक्रमगड	जिला : पालघर	राज्य : महाराष्ट्र		
1) कोंडगाव	158	00	04	30
	156	00	02	23
2) तळवली तर्फे सातकोर	52	00	10	38
	59	00	31	06
	63	00	06	87
	115	00	02	75
3) म्हसरोली	25/2	00	28	44
	20/2	00	03	06
	195	00	10	79

मंडल/तहसील/तालुका : वाडा	जिला : पालघर	राज्य : महाराष्ट्र		
1) सुंपोडा	169/3	00	16	02
2) भोपिवली	24	00	01	69
	68	00	05	55
3) खरीवली तर्फे कोहोज	266पै	00	14	10
	137/8	00	09	00
	76/4	00	06	98
	144/5	00	12	05
	260	00	17	68
	104	00	12	21
	58/2	00	16	46
	79	00	10	08
	101	00	09	67
	114	00	16	62
	140	00	02	25
	135	00	03	22
4) आंबिस्टे खु.	134	00	01	00
	68	00	01	80
5) आंबिस्टे बुद्रुक	457	00	10	52
	452	00	04	47
6) मुसारणे	224	00	04	31
	438	00	06	04
	555	00	01	64
	203	00	02	00
	227	00	01	18
	547	00	04	11

[फा . सं. एल.-14014/120/2021-जी.पी.-II(ई-40062)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2021

S.O. 4713(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of Liquid Ethane from Dahej Manufacturing Division in Gujarat to Nagothane Manufacturing Division in Maharashtra of M/s Reliance Industries Limited (RIL), RIL's dedicated Dahej - Nagothane Liquid Ethane pipeline should be laid by M/s Reliance Ethane Pipelines Limited;

And whereas, it appears to Government of India that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which are described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date on

which the copies of this notification as published in the Gazette of India under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the Right of User therein for laying the said pipeline under the land to Competent Authority, Reliance Ethane Pipelines Limited, Compressor Station-08, Village- Vaholi, Post- Vaholi, Kalyan Murbad Road, Kalyan - 421301, Maharashtra State.

SCHEDULE

Mandal/Tehsil/ Taluk: Talasari	District : Palghar	State: Maharashtra		
Name of Village	Survey No./Sub-Division No.	Area to be acquired for ROU		
		Hec.	Are	C-Are
1	2	3	4	5
1) Uplat	214	00	04	45
	770	00	06	20
	750	00	00	30
	713	00	06	10
2) Varvade	30	00	28	89
	36/2P	00	16	88
	47/3	00	03	09
	45/2	00	03	13
	173/12	00	03	01
3) Talasari	265/1/P	00	10	01
4) Vadavali	34	00	02	00
	35/4	00	04	38
	35/6	00	09	80
	38/1	00	12	73
Mandal/Tehsil/ Taluk: Dahanu	District : Palghar	State: Maharashtra		
1) Pardi	1	00	06	45
	17	00	10	82
2) Punjave	43	00	07	70
	105	00	21	63
3) Saswand	58/1/1	00	21	10
	58/1/6	00	20	00
4) Kolhan	35/7	00	19	84
Mandal/Tehsil/ Taluk: Palghar	District : Palghar	State: Maharashtra		
1) Barhanpur	303	00	02	00
Mandal/Tehsil/ Taluk: Vikramgad	District : Palghar	State: Maharashtra		
1) Kondgaon	158	00	04	30
	156	00	02	23
2) Talavali Tarf Satkor	52	00	10	38
	59	00	31	06
	63	00	06	87
	115	00	02	75
3) Mhasroli	25/2	00	28	44

	20/2	00	03	06
	195	00	10	79
Mandal/Tehsil/ Taluk: Wada	District : Palghar	State: Maharashtra		
1) Suponda	169/3	00	16	02
2) Bhopivali	24	00	01	69
	68	00	05	55
3) Kharivali Tarf Kohoj	266P	00	14	10
	137/8	00	09	00
	76/4	00	06	98
	144/5	00	12	05
	260	00	17	68
	104	00	12	21
	58/2	00	16	46
	79	00	10	08
	101	00	09	67
	114	00	16	62
	140	00	02	25
	135	00	03	22
4) Ambiste Kd	134	00	01	00
	68	00	01	80
5) Ambiste Bk	457	00	10	52
	452	00	04	47
6) Musarne	224	00	04	31
	438	00	06	04
	555	00	01	64

1	2	3	4	5
6) Musarne (Contd.)	203	00	02	00
	227	00	01	18
	547	00	04	11

[F. No. L-14014/120/2021-GP-II] (E-40062)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.